नगर निगम का ऐतिहासिक कदमः 305 करोड़ का मुनाफे वाला बजट पास, जनता को बड़ी राहत

निगम बजटः 15 प्रस्तावों के साथ ही कचरा शुल्क में राहत

हरिभूमि न्यूज ▶▶ छिन्दवाडा

शहर के समग्र विकास और जनहित को सर्वोपरि रखते हुए, नगर पालिक निगम छिंदवाड़ा की मेयर-इन-काउंसिल (एमआईसी) ने मंगलवार को एक दूरगामी विजन वाला बजट पेश किया। महापौर विक्रम सिंह अहके की अध्यक्षता में लगभग दो घंटे तक चली इस महत्वपूर्ण बैठक में 2026-27 के वित्तीय बजट सहित 15 अहम प्रस्तावों को सर्वसम्मति से हरी झंडी दी गई। यह बैठक केवल कागजी आंकड़ों तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसमें शहर को स्मार्ट और सुविधायुक्त बनाने के स्पष्ट विजन के साथ-साथ आम जनता की जेब को सीधा फायदा पहुंचाने वाले ऐतिहासिक निर्णय लिए गए।

बैठक में लिए गए निर्णयों का विस्तृत ब्यौरा

जनता को सबसे बड़ी राहतः कचरा शुल्क हुआ आधा : एमआईसी की बैठक का सबसे प्रभावशाली और जनहितैषी निर्णय कचरा कलेक्शन शुल्क में भारी कटौती करना रहा। बढ़ती महंगाई के बीच शहरवासियों को राहत देते हुए एमआईसी ने कचरा शुल्क को 1200 रुपये से घटाकर सीधा 600 रुपये कर दिया है। इसे अब अंतिम मोहर के लिए परिषद के समक्ष रखा जाएगा। यह कदम स्पष्ट करता है कि नगर निगम का मुख्य उद्देश्य केवल राजस्व वसूलना नहीं है, बल्कि नागरिकों को सहूलियत प्रदान करते हुए शहर को स्वच्छ रखना है।

वित्तीय वर्ष 2026-27: 305 करोड़ का मुनाफे वाला बजट

नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 97 के तहत तैयार किया गया यह बजट निगम की मजबूत वित्तीय योजना को दर्शाता है। 305 करोड़ रुपये से अधिक के इस बजट में 15,000 रुपये का लाभ (सरप्लस) दर्शाया गया है, जो एक संतुलित और पारदर्शी वित्तीय प्रबंधन का प्रमाण है।

बजट का विवरण	निर्धारित राशि (रुपये में)
कुल राजस्व एवं पूंजीगत आय	305,95,03,500
कुल राजस्व एवं पूंजीगत व्यय	305,94,88,500
राजस्व आय	154,59,56,500
राजस्व व्यय	154,59,07,000
पूंजीगत आय	151,35,47,000
पूंजीगत व्यय	151,35,81,500
अनुमानित लाभ	15,000

विकास को मिलेगी नई रफ्तार

शहर में विकास कार्यों को व्यवस्थित और तेज गति से अंजाम देने के लिए निगम ने एक पेशेवर दृष्टिकोण अपनाया है। अब शहर में प्रस्तावित बड़े विकास कार्यों का विस्तृत सर्वेक्षण बाहरी (एक्सटर्नल) एजेंसियों के माध्यम से कराया जाएगा। इसी सटीक रिपोर्ट के आधार पर टेंडर जारी होंगे, जिससे निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित होगी।

अधोसंरचना और मेगा प्रोजेक्ट्स को मंजूरी

नए निर्माणः शहर को आधुनिक बनाने के विजन के तहत बस टर्मिनल, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स और एक इंटीग्रेटेड टाउनशिप के निर्माण के लिए निजी भूमि अधिग्रहण के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

सड़क और भवनः वार्ड 43 में परासिया रोड से मोहन नगर रोड तक डामरीकरण और वार्ड 24 (सोनपुर) में नए सामुदायिक भवन एवं पार्क के निर्माण पर मुहर लगाई गई।

भूमि एवं राजस्व प्रबंधनः चंदनगांव बोदरी पुल के पास हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी से लगी निगम भूमि के अंतरण तथा इमलीखेड़ा स्थित दुकानों के भू-भाटक निर्धारण को स्वीकृति दी गई।

सांस्कृतिक धरोहर का सम्मान और समाज कल्याण

महापुरुषों का सम्मानः एमएलबी स्कूल के सामने स्थित गार्डन में लोकमाता देवी अहिल्या होलकर की प्रतिमा स्थापित करने के लिए स्थान आवंटित किया गया है।

पार्कों का नामकरणः सिविल लाइन स्थित पार्क का नाम अब "स्मृति साहित्य वाटिका" और संत झूलेलाल वार्ड (कावेरी नगर) के पार्क का नाम "नमो वाटिका" रखा गया है।

दिव्यांग और गरीब कल्याणः समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलने के विजन के तहत "समर्थ" दिव्यांगजन पुनर्वास योजना लागू करने का प्रस्ताव पारित हुआ। साथ ही, प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत 138 आवेदनों की स्वीकृति सूची कलेक्टर को भेजने का अहम निर्णय लिया गया।

निगम कर्मचारियों को भी मिला तोहफा

जनता के साथ-साथ निगम कर्मचारियों के हितों का भी पूरा ध्यान रखा गया है। रिक्त पदों पर रोस्टर प्रणाली के अनुसार कर्मचारियों की पदोन्नति एवं नियमितीकरण की प्रक्रिया शुरू करने की स्वीकृति दे दी गई है। इसके अतिरिक्त लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (PHE) विभाग के कार्यपालन यंत्री श्री ईश्वर सिंह चंदेली की प्रतिनियुक्ति को भी हरी झंडी दी गई।

"महापौर श्री विक्रम सिंह अहके "

"नगर निगम का उद्देश्य केवल कर वसूलना नहीं, बल्कि जनता को राहत देना है। इसी जनहितैषी सोच के साथ 305 करोड़ के इस बजट में हमने कचरा शुल्क 1200 से घटाकर सीधा आधा (600 रुपये) कर दिया है। बड़े प्रोजेक्ट्स की पारदर्शी शुरुआत और हर वर्ग के कल्याण के साथ, हम 'स्वच्छ, सुंदर और समर्थ छिंदवाड़ा' बनाने के लिए पूरी तरह संकल्पित हैं।"

घरेलू गैस सिलेंडर के दुरुपयोग पर सख्ती, कई प्रतिष्ठानों की हुई जांच

हरिभूमि न्यूज ▶▶ छिंदवाड़ा

कलेक्टर हरेंद्र नारायन के आदेशानुसार जिला आपूर्ति अधिकारी छिंदवाड़ा एवं सहायक आपूर्ति अधिकारी श्री राघवेन्द्र सिंह लिल्होरे द्वारा आज संयुक्त रूप से शहर में घरेलू गैस सिलेंडरों के संग्रहण एवं दुरुपयोग के संबंध में सघन जांच अभियान चलायागया। इस दौरान तहसील छिंदवाड़ा क्षेत्र में स्थित रूफ 5 रेस्टारेंट (परासिया रोड), परासिया नाका तिराहा स्थित चौपाटी दुकान, श्री नैवैध्यम रेस्टारेंट (खजरी रोड) सहित विभिन्न प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया। जांच में पाया गया कि उक्त सभी स्थानों पर ईंधन के रूप में इलेक्ट्रिक इंडक्शन एवं गैस चूल्हा भट्टी का उपयोग किया जा रहा है।

जांच दल द्वारा शहर में लगातार भ्रमण कर घरेलू गैस सिलेंडरों के अवैध संग्रहण एवं दुरुपयोग पर नजर रखी जा रही है। खाद्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि ऐसे मामलों में गैस सिलेंडर जब्त कर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत प्रकरण दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

सड़क से हटाया गया अवैध अतिक्रमण, आवागमन हुआ सुचारू

छिन्दवाड़ा। नगर निगम आयुक्त श्री सी.पी. राय के निर्देशानुसार शहर के वार्ड क्रमांक 36, आदर्श नगर में मंगलवार को नगर निगम की टीम ने कार्रवाई करते हुए सड़क पर किए गए अवैध अतिक्रमण को जेसीबी मशीन की सहायता से हटाकर मार्ग को पूर्णतः मुक्त कराया। जानकारी के अनुसार आदर्श नगर क्षेत्र में कुछ स्थानीय लोगों द्वारा सड़क के हिस्सों पर अतिक्रमण कर लिया गया था। इसके कारण मार्ग संकरा हो गया था और आए दिन यातायात बाधित हो रहा था, जिससे वार्डवासी परेशान थे। इस संबंध में स्थानीय निवासियों द्वारा नगर निगम प्रशासन से शिकायत की गई थी। शिकायत पर संज्ञान लेते हुए निगम अमले ने मौके पर पहुंचकर अवैध अवरोधों को हटाया और आवागमन को सुचारू बनाया। कार्रवाई के दौरान कार्यपालन यंत्री श्री हिमांशु अतुलकर एवं उपयंत्री सुश्री स्मिता इंदौरकर विशेष रूप से उपस्थित रहीं और पूरे अभियान की निगरानी की।

नरवाई प्रबंधन एवं उर्वरक ई-वितरण प्रणाली पर कार्यशाला का आयोजन

छिन्दवाड़ा। एसडीएम परासिया श्री शुभम यादव की अध्यक्षता में आज नरवाई प्रबंधन एवं उर्वरक ई-वितरण प्रणाली विषय पर विकासखंड स्तरीय कार्यशाला का आयोजन परासिया के संगीतालय भवन में किया गया। कार्यक्रम में कृषि विज्ञान केंद्र देलाखारी के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉ. आर.एल. राउत, अनुविभागीय अधिकारी कृषि श्री प्रमोद सिंह उट्टी, डॉ. एस.के. अहिरवार, तहसीलदार परासिया सुश्री सुनैना ब्रम्हे, तहसीलदार उमरेठ सुश्री शोभना ठाकुर, नायब तहसीलदार श्री राम सूर्यवंशी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद परासिया सुश्री वर्षा सहित सभी मुख्य नगर पालिका अधिकारी, थाना प्रभारी परासिया तथा कृषि, राजस्व, उद्यान, पंचायत, वन विभाग एवं सहकारी समितियों का अमला उपस्थित था। कार्यक्रम में उपस्थित कर्मचारियों को नरवाई प्रबंधन के महत्व के बारे में बताया गया कि इसके उचित प्रबंधन से पर्यावरण और मिट्टी दोनों को सुरक्षित रखा जा सकता है।

पांढुर्णा में विकास को मिली रफ्तार

प्रमुख सरकारी भवनों के लिए जमीन तय, जिला अस्पताल अब मंडी परिसर में बनेगा

हरिभूमि न्यूज ▶▶ पांढुर्णा

जिले में प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने की दिशा में तेज़ी से काम जारी है। कलेक्टर नीरज कुमार वशिष्ठ ने चर्चा के दौरान कहा कि कलेक्टर कार्यालय, एसपी कार्यालय, जिला पंचायत, जिला अस्पताल, रेस्टहाउस सहित कई महत्वपूर्ण शासकीय भवनों के लिए भूमि आवंटन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, जबकि कुछ स्थान अंतिम चरण में हैं। आज जिला प्रेस क्लब से चर्चा के दौरान कलेक्टर ने बताया कि प्रशासनिक कार्यों को

गति देने के लिए फाइलों का तेजी से निराकरण किया जा रहा है, साथ ही शेष जिलास्तरीय विभागों के लिए जमीन तलाशी जा रही है। इस पहल पर प्रेस क्लब ने जनता की ओर से उनका आभार व्यक्त किया।

नए बायपास की भी तैयारी

कलेक्टर वशिष्ठ ने बताया कि भंढारगोंदी बायपास की तर्ज पर कलमगांव की ओर से एक और बायपास बनाने की योजना पर काम चल रहा है, जिससे शहर की यातायात समस्या में बड़ी राहत मिलेगी। जिले में इन प्रमुख परियोजनाओं के साकार होने से प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत होगी और आम जनता को सुविधाओं का सीधा लाभ मिलेगा।

प्रशासनिक अधिकारियों के बीच तालमेल बेहतर होगा

जानकारी के अनुसार पुलिस थाना प्रांगण में पहले से ही जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय के लिए भूमि आवंटित है, वहीं पुलिस कम्युनिकेशन सेंटर का निर्माण भी जारी है। कलेक्टर वशिष्ठ का कहना है कि कलेक्टर कार्यालय और पुलिस अधीक्षक कार्यालय दोनों ही जिले के महत्वपूर्ण प्रशासनिक केंद्र हैं। यदि दोनों कार्यालय एक ही परिसर में होंगे तो प्रशासनिक अधिकारियों के बीच समन्वय और कार्यप्रणाली अधिक प्रभावी हो सकेगी। जनता की मांग और प्रशासनिक पहल के बाद अब पांढुर्णा में कलेक्टर कार्यालय के लिए पुलिस प्रांगण को अंतिम रूप दिए जाने से क्षेत्रवासियों में संतोष और खुशी का माहौल देखा जा रहा है।

रेस्टहाउस शहर से बाहर, मोरडोंगरी के आगे बनेगा

कलेक्टर कार्यालय, एसपी कार्यालय और पुलिस कंट्रोल रूम के लिए पुलिस प्रांगण में भूमि आवंटित कर दी गई है। वहीं, जिला पंचायत कार्यालय नागपुर रोड स्थित पीडब्ल्यूडी रेस्टहाउस की जमीन पर बनाया जाएगा। शहर के भविष्य विस्तार को ध्यान में रखते हुए लोक निर्माण विभाग का विश्रामगृह अब मोरडोंगरी के आगे नए स्थान पर बनाया जाएगा।

मंडी परिसर में बनेगा जिला अस्पताल

पहले प्रस्तावित स्थान में बदलाव करते हुए अब जिला अस्पताल, सिविल अस्पताल से सटी कृषि उपज मंडी समिति की भूमि पर बनाया जाएगा, जिससे मरीजों को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी। कलेक्टर, एसपी सहित वरिष्ठ अधिकारियों के आवास अमरावती रोड स्थित श्री गणेश मठ द्वारा दान की गई भूमि पर निर्मित किए जाएंगे।

चैत्र नवरात्र पर होगा गरबा डांडिया महोत्सव का आयोजन

दमुआ। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी चैत्र नवरात्र के पावन अवसर पर माता रानी का दरबार सजेगा एवं भक्तजन 3 दिवसीय गरबा होत्सव डांडिया के कार्यक्रम में हाजरी लगायेगें एवं मां के पावन पर्व नवरात्रि में माता का जगराता माता रानी की अराधना कर माता रानी के दरबार मे मां के भक्त उत्साह एवं हर्षोल्लास के साथ भक्तगण हाजरी लगायेगें गरबा उत्सव समिति के अध्यक्ष पंकज साहू ने सभी सनातन धर्म प्रेमी एवं माता के भक्तजनों से आहवान किया है कि अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर माता रानी का आर्शिवाद प्राप्त करें गरबा मोहत्सव डांडिया का कार्यक्रम दिनांक 22 मार्च से 24 मार्च 3 दिवसीय कार्यक्रम होगा स्थान तरूण मैरिज लान पुलिस थाने के सामने दमुआ में होगा जिसकी इन्ट्रीफीस कूपन के माध्यम से वितरित की जावेगी।

श्री दुर्गा मंदिर दमुआ बाजार में मनोकामना ज्योति कलश की स्थापना

दमुआ- श्री दुर्गा मंदिर गुजरी बजार दमुआ में प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी चैत्र नवरात्र के पावन पर्व पर मातारानी क चरणो में भक्त श्रद्धुलओं के द्वारा मनोकामना हेतु मनोकामना ज्योति कलश स्थापित किया जावेगें अतः जिस भीा भक्त श्रद्धालुओं को मनोकामना ज्योति कलश स्थापित करना हो वह 601 रूपये अनुदान राशि जमा कर कलश स्थापित कर सकता है। एवं श्री श्री दुर्गा मंदिर गुजरी बाजार समिति दमुआ से सम्पर्क कर सकते है।

कॉलेज में प्रतियोगिताओं का आयोजन विद्यार्थियों ने लिया बढ़चढ़कर भाग

हरिभूमि न्यूज ▶▶ दमुआ

शासकीय महाविद्यालय दमुआ में जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत जल संरक्षण एवं पर्यावरण जागरूकता को लेकर विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन महाविद्यालय प्राचार्य रश्मि दास के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ।इस अवसर पर महाविद्यालय में निबंध, पोस्टर, भाषण एवं स्लोगन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इन प्रतियोगिताओं में छात्र-छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए जल संरक्षण के महत्व, जल स्त्रोतों की सुरक्षा तथा पर्यावरण संरक्षण से जुड़े अपने विचार रचनात्मक रूप में प्रस्तुत किए।कार्यक्रम में वक्ता गौरी शंकर घोरे एवं सह वक्ता कंचन चंद्रवंशी ने जल संरक्षण के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि जल प्रकृति की अमूल्य धरोहर है और इसके बिना जीवन की कल्पना संभव नहीं है। वर्तमान समय में बढ़ते जल संकट को देखते हुए वर्षा जल संचयन, तालाबों और नदियों के संरक्षण तथा जल के विवेकपूर्ण उपयोग की आवश्यकता है।कार्यक्रम का संयोजन श्री गौरी शंकर घोरे एवं कंचन चंद्रवंशी द्वारा किया गया।इस अवसर पर महाविद्यालय के नीरज कुमार सल्लाम, राजकुमार कुशवाहा, डॉ. विमल कुमार कौशले मौजूद रहे।

ग्रीष्मकाल के दृष्टिगत जिले में नलकूप खनन पर प्रतिबंध

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री नारायन ने जारी किए आदेश

हरिभूमि न्यूज ▶▶ छिंदवाड़ा

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री हरेंन्द्र नारायन द्वारा ग्रीष्मकाल में जिले में संभावित पेयजल संकट को दृष्टिगत रखते हुए महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है। जारी आदेश के अनुसार म.प्र. पेयजल परिरक्षण अधिनियम 1986 की धारा-3 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छिंदवाड़ा जिले को तत्काल प्रभाव से 15 जून 2026 अथवा वर्षा प्रारंभ होने तक की अवधि के लिए "जल अभावग्रस्त क्षेत्र" घोषित किया गया है।

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है कि इस वर्ष सामान्य वर्षा होने के बावजूद जिले के पेयजल स्त्रोतों के जलस्तर में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है, जिससे पेयजल संकट की स्थिति निर्मित होने की संभावना है। उक्त परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए जनहित में यह आदेश जारी किया गया है।

आदेशानुसार जिले के समस्त नदी, नालों, स्टॉपडेम, सार्वजनिक कुओं एवं अन्य जल स्त्रोतों का उपयोग केवल पेयजल एवं घरेलू प्रयोजनों के लिए सुरक्षित किया गया है। कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति के इन जल स्त्रोतों का उपयोग अन्य किसी प्रयोजन के लिये नहीं कर सकेगा। साथ ही जल अभावग्रस्त क्षेत्र में बिना पूर्व अनुमति के नवीन नलकूप खनन पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है। निजी भूमि पर नलकूप खनन के लिए इच्छुक व्यक्तियों को निर्धारित प्रारूप में शुल्क सहित संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) से पूर्व अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। शासकीय नलकूप से 150 मीटर की परिधि में नवीन नलकूप खनन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा तथा निजी नलकूप की गहराई शासकीय नलकूप से कम रखी जाएगी। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को इस संबंध में प्राधिकृत किया गया है कि वे अनुमति प्रदान करने से पूर्व आवश्यक जांच-परीक्षण सुनिश्चित करेंगे।

अभी तक 1450 किसानों ने कराया पंजीयन

सरसों के पंजीयन की अंतिम तिथि 20 मार्च, कृषकों से पंजीयन कराने की अपील

हरिभूमि न्यूज ▶▶ छिंदवाड़ा

शासन के निर्देषानुसार भावांतर योजनांतर्गत सरसो फसल का ई-उपार्जन पोर्टल पर जिले की 88 सहकारी समितियों एवं कॉमन सर्विस सेंटर, लोकसेवा केन्द्र, सायबर कैफे एवं स्वयं के मोबाईल अथवा कम्प्यूटर से पंजीयन किया जा रहा हैं। सरसो के पंजीयन की अंतिम तिथि 20 मार्च 2026 हैं। कलेक्टर महोदय छिंदवाडा द्वारा जिले की सभी सहकारी समितियों के प्रबंधकों, कृषि विभाग के कृषि विस्तार अधिकारियों, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारियों, कॉमन सर्विस सेंटर के प्रबंधकों, राजस्व विभाग के सभी पटवारियों, तहसीलदारों, समस्त पंचायतों के पंचायत सचिव एवं रोजगार सहायकों को निर्देषित किया है कि जिले मे सरसो बोने वाले समस्त किसानों का अनिवार्य रूप से पंजीयन केन्द्रों मे ले जाकर पंजीयन कराये। कलेक्टर छिंदवाडा श्री हरेन्द्र नारायन एवं उप संचालक कृषि श्री जितेन्द्र कुमार सिंह द्वारा सरसो बोने वाले समस्त किसान भाईयो से अपील की गई है कि समस्त किसान भाई नियत समय अवधि में अपनी फसल का पंजीयन अवष्य कराये।

नरवाई जलाने पर दंडात्मक कार्यवाही की जायेगीः कलेक्टर

छिन्दवाड़ा। कलेक्टर हरेंद्र नारायण की अध्यक्षता में जिले में नरवाई जलाने की घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से गत दिवस जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में जिले के समस्त जिला अधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत एवं सभी सीएमओ उपस्थित थे। कलेक्टर श्री नारायन ने निर्देश दिए कि प्रत्येक पंचायत स्तर पर पटवारी, कृषि विस्तार अधिकारी, पंचायत सचिव, रोजगार सहायक एवं कोटवार की टीम गठित कर उनका प्रशिक्षण आयोजित किया जाए। यह टीम किसानों को नरवाई जलाने से होने वाले नुकसान के प्रति जागरूक करेगी। साथ ही यह भी बताया जाएगा कि यदि कोई किसान नरवाई जलाता है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार जुर्माना अथवा एफआईआर की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने निर्देशित किया कि जिले में संचालित सभी कंबाइन हार्वेस्टर में स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम (एसएमएस) या स्ट्रॉ रीपर का उपयोग अनिवार्य रूप से किया जाए। हार्वेस्टिंग के बाद सुपर सीडर से मूंग एवं उड़द की बुवाई कर नरवाई जलाने की घटनाओं को रोका जा सकता है।उप संचालक कृषि श्री जितेन्द्र कुमार सिंह द्वारा उन्नत कृषि यंत्रों की जानकारी पीपीटी के माध्यम से दी गई। कार्यशाला में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री अग्रिम कुमार, अपर कलेक्टर श्री धीरेंद्र सिंह, सभी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), संयुक्त कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, आयुक्त नगर पालिक निगम, उप संचालक कृषि तथा अन्य जिला अधिकारी उपस्थित थे।

आज तारण भवन में होगी सकल जैन समाज की बैठक

छिंदवाड़ा। मध्य प्रदेश की धर्म नगरी छिंदवाड़ा सहित सम्पूर्ण विश्व की सकल जैन समाज आगामी चैत्र सुदी तेरस 30 मार्च के शुभ दिन अहिंसा के प्रणेता वर्तमान शासन नायक 24 वें तीर्थंकर देवाधिदेव 1008 महावीर भगवान का 2625 वां जन्मकल्याणक महोत्सव विविध अनुष्ठानों के साथ भक्ति भाव पूर्वक मनावेगा।श्री वीर प्रभु के 2625 वें जन्मकल्याणक महोत्सव को लेकर सकल जैन समाज के सभी घटकों में अपार उत्साह एवं उमंग का वातावरण बना हुआ है और सभी मिलकर महोत्सव की जोरदार तैयारी कर रहे हैं। 2625 वें जन्मकल्याणक महोत्सव को ऐतिहासिक स्वरूप प्रदान करने के लिए सकल जैन समाज के सभी घटकों सहित युवा संगठनों की विशेष बैठक आज बुधवार 18 मार्च की रात्रि 9 बजे नगर की हृदय स्थली छोटी बाजार स्थित तारण भवन में रखी गई है जिसमें महोत्सव की सम्पूर्ण रूपरेखा सहित समिति का गठन एवं अन्य विषयों पर विस्तृत चर्चा की जावेगी जिसमें सम्मिलित होकर महोत्सव को यादगार बनाने की अपील सकल जैन समाज से महोत्सव अध्यक्ष संजय मीनू सिंघई, महामंत्री विशाल जैन, पंकज पाटनी, तारण समाज अध्यक्ष प्रदीप जैन ने सकल जैन समाज के सभी घटकों में तारण समाज, ओसवाल श्वेतांबर जैन समाज, कच्छी बीसा ओसवाल संघ, खंडेलवाल पंचायत, परवार पंचायत, गोला पूरब सभा, गोलालारे सभा,सूर्योधाम, मुमुक्षु मंडल, सेतवाल सभा सहित समस्त युवा संगठनों से की गई है।

पंचायत इंस्पेक्टर स्वच्छता और कोऑर्डिनेटर नहीं करते भ्रमण

आवारा पशुओं के बीच से सुलभ शौचालय में करना पड़ता है प्रवेश

हरिभूमि न्यूज ▶▶ तामिया

छिंदवाड़ा से पिपरिया के बीच चलने वाली बसों मैं सफर करने वाले यात्री के अलावा टूरिस्ट एवं बाजार आने वाले खरीदार महिला पुरुष पंचायत के सुलभ शौचालय का उपयोग करते हैं, लेकिन इन दिनों तामिया में आवारा पशु यातायात में बाधक बनने के साथ-साथ उनकी धमा चौकड़ी राहगीर एवं बाजार में आने वाली जनता त्रस्त है। पंचायत द्वारा कोई इन आवारा पशुओं के लिए ठोस कार्रवाई नहीं किए जाने से इनकी तादाद बढी है। अब यह तामिया सुलभ शौचालय के सामने जो मोहल्ले वाले कचरे के साथ सब्जी

भाजी फेकते हैं, उनको खाने सुलभ शौचालय के सामने इनका जमावड़ा रहता है जो सुलभ शौचालय में प्रवेश करने वाले महिला पुरुष के लिए मुसीबत का सबब बन गया है। ऐसे नजारे रोज देखने मिल रहे हैं।

इन आवारा पशुओं से किसी दिन किसी यात्री को घायल कर दे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, वही ग्राम पंचायत तामिया की कार्य प्रणाली पर सबाल भी खड़े करता है कि शौचालय के सामने आवारा पशु के जमावड़े कारण किसी प्रकार की अप्रिय घटना ना कर सके। इस रोकने के लिए ग्राम पंचायत आवारा पशुओ को कांजी हाउस में बंद करना होगा। इस स्थिति में उनके मालिक का पता चल सकेगा और रोकथाम की ठोस कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन तामिया ग्राम पंचायत से ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है कि इतने संवेदनशील मामले एवं होने वाली घटना पर अंकुश लगा पाएगी यह उसकी कार्य प्रणाली से संभव नहीं लगता है। मुख्यालय की ग्राम पंचायत होने के कारण पंचायत इंस्पेक्टर एवं. प्रभारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी के अलावा स्वच्छता कोऑर्डिनेटर भी कभी स्वच्छता के मद्दे नजर इन स्थानों पर नहीं पहुंचते हैं, उसी का नतीजा है की मुख्य मार्ग के अलावा शौचालय के सामने भी आवारा पशुओं का जमावडा लगा रहता है।

परीक्षा में उत्कृष्ट अंक प्राप्त करने वाले छात्र-छात्रों, अन्य क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु समाज के युवाओं को किया पुरस्कृत

कर्मा जयंती पर साहू समाज का उमड़ा जन सैलाब

हरिभूमि न्यूज ▶▶ बिछुआ

साहू समाज की आराध्य कुल देवी भक्त शिरोमणि मां कर्मा देवी की 1010 वी जयंती के शुभ अवसर पर ग्राम खमारपानी तहसील बिछुआ में जिला स्तरीय मां कर्मा जयंती समारोह का आयोजन किया गया जिसमें जिला छिन्दवाडा एवं पांढुर्णा के समस्त साहू समाज के लोग भारी संख्या में एकत्रित हुए। कार्यक्रम में मां कर्मा पूजन, हवन कार्यक्रम, अतिथियों का उदबोधन एवं उनका सम्मान किया गया, इसके बाद परीक्षा में उत्कृष्ट अंक प्राप्त करने वाले छात्र-छात्रों, अन्य क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु समाज के युवाओ के प्रोत्साहन हेतु उन्हे पुरूषकृत कर उन्हे प्रमाण पत्र दिया गया पश्चात समाज के विशाल जन समूह द्वारा विशाल रैली का निकालकर सामाजिक एकता का परिचय दिया गया। कार्यक्रम का आयोजन साहू समाज खमारपानी खंड क्षेत्र द्वारा किया गया जिसमे खमारपानी खण्ड अध्यक्ष श्री बिसराम बिसने के मार्गदर्शन में समस्त खंड समिति द्वारा एवं कार्यक्रम समिति अध्यक्ष श्री हरिराम डोहरे एवं कार्यकारी अध्यक्ष श्री नंदकिशोर पिपरेवार साथ समस्त कार्यक्रम समिति द्वारा योगदान दिया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सम्मानीय श्री संजीव धुवारे जिला अध्यक्ष बालाघाट, जिला अध्यक्ष माननीय हेमराज साहू जी, जिला संरक्षक श्री जगदीश प्रसाद सेठिया जी, जिला सचिव श्री संतोष गोदेवार जी जिला उपाध्यक्ष श्री सुरेश साहू जी सहित समस्त जिला कार्यकारिणी पदाधिकारी सदस्य गण समस्त खंड क्षेत्र के अध्यक्ष समस्त स्वजातीय बंधुओ सहित बड़ी संख्या में मातृ शक्ति शामिल हुई।

अखिल रघुवंशी समाज की जिला छिंदवाडा-सिवनी की कार्यकारणी घोषित

छिंदवाडा। अखिल भारतीय अखंड रघुवंशी क्षत्रिय महापरिषद प्रदेश अध्यक्ष प्रहलाद रघुवंशी अनुशंसा पर जिला अध्यक्ष लेखराम पटेल ने जिला छिंदवाडा -सिवनी कार्यकारणी घोषित की।जिला कार्यकारी अध्यक्ष पद वीरेंद्र पटेल, मेघराज पटेल, मुनींद्र मनोज रघुवंशी, तेजसिंह पटेल, जिला सचिव पद पर जीवन सिंह रघुवंशी, महासचिव शैलेंद्र सिंह बबलू पटेल, इन्द्रपाल पटेल और कोषाध्यक्ष पद पर जीवन सिंह रघुवंशी, संरक्षक मेहत श्यामदास महाराज, श्री राम जानकी मंदिर लोनी कला, दीनबंधु दास पटेल बाबा श्री राम जन की मंदिर कनक धाम, चौ० सुजीत सिंह कुण्डा थावरी , ठा० दानसिंह चाँद, शेलेन्द्र सिंह छिंदवाडा, संतोष पटेल कुकड़ा जगत, दिनेश शंकर सिंह पटेल पिंडरई, ठा० राजेन्द्र सिंह छिंदवाडा, राजेंद्र सिंह पटेल बतरी, चौ० चंद्रभान सिंह छिंदवाडा, ठा० दौलत सिंह छिंदवाडा, श्रीराम रघुवंशी छिंदवाडा, देवेन्द्र सिंह पटेल चाँद, बोधसिंह पटेल छिंदवाडा, जिला उपाध्यक्ष पद पर डॉ० विजेंद्र सिंह चांद , गोविन्द सिंह कुडाली, निरंकार सिंह पतलोंन , रंजित सिंह डुंगरियां, धनीराम चौधरी थावरी, निर्भय सिंह पटवारी चौरई, मनीष पटेल चौरई, बलराम पटेल बेलपेट, ठा० विनय सिंह छिंदवाडा,संजय पटेल कबाड़िया, धूपसिंह पटेल बर्रा, वेद सिंह रघुवंशी जामुनटोला, सचिव पद पर संतोष सिंह रघुवंशी सिंगोधी टोला, प्रीतम सिंह रघुवंशी,राजलवाड़ी,अरविन्द सिंह रघुवंशी बम्हनी लाला, प्रवीण सिंह रघुवंशी छिंदवाडा, विजय सिंह रघुवंशीछिंदवाडा, महामंत्री पद पर - शिशुपाल पटेल राजलवाड़ी,राजकुमार पटेल चाँद, रामविलास रघुवंशी परासिया, धनराज रघुवंशी नेर, चौ. अरविन्दसिंह,छिंदवाडा, चौ.विक्रम सिंह, संदीप सिंह रघुवंशी, अंगद सिंह, संदीप रघुवंशी, हीरा सिंह पटेल, राकेश रघुवंशी, राकेशसिंह रघुवंशी, चंद्रपाल सिंह चौधरी प्रवक्ता पद पर निमेश पटेल, रेवा राम सिंह रघुवंशी शामिल है।

संत श्री गाडगे महाराज समिति की कार्यकारिणी का हुआ गठन

जुन्नारदेव। रजक धोबी समाज द्वारा संत श्री गाडगे महाराज समिति के कार्यकारिणी का गठन किया गया है जिसमें सर्वसम्मति से जुन्नारदेव अध्यक्ष शशिकांत मालवी, कार्यकारी अध्यक्ष सचिन मालवी, कोषाध्यक्ष रमेश कनौजिया, उपाध्यक्ष अमित मालवी, ब्रजमोहन मालवी, विनीत मालवी, नान्हों चौरसे, राजू मालवी, किशोर मालवी, महादेव चोरासे, परमाल मालवी, राकेश मालवी पालाचौरई, सचिव धर्मेंद्र मालवी, सहसचिव मदन मालवी तामिया, सागर मालवी, राहुल रजक, उमंग मालवी, महामंत्री राजेंद्र रजक, नितिन चोरासे, मावेन्द्र मालवी , महादेव चोरासे, आयुष मोहबिया, ओ पी मालवी, अक्षांश मालवी, संगठन मंत्री आकाश मालवी, देवांश मालवी, देवेंद्र मालवी, राजेश मालवी, रामेश्वर चोरासे, मीडिया प्रभारी सुधीर रजक, विजय मालवी, मोनू मालवी, कानूनी सलाहकार एडम मालवी, अजय मालवी, संरक्षक साहबलाल मालवी, बाबूलाल मालवी, पूनाराम मालवी, शंभु प्रसाद मालवी, शिवराज मालवी, गणेश मालवी, गुरुप्रसाद मालवी, खुन्नीलाल मालवी, जी पी महोबिया , अनिल मालवी, राजेंद्र सोलंकी दमुआ, रामप्रसाद मालवी, नरेश मालवी, रतन मालवी, कार्यकारी सदस्य राकेश मालवी, राजेंद्र कनौजिया, संतोष मालवी, रोहित मालवी, रवि मालवी को नियुक्त किया गया है।

साहू समाज चौरई ने धूमधाम से मनाई मां कर्मा जयंती

चौरई। साहू समाज चौरई द्वारा मां कर्मा जयंती बड़े ही हर्षोल्लास एवं श्रद्धा भाव के साथ मनाई गई । इस अवसर पर छिंदवाड़ा पांढुरना जिले के सांसद मान विवेक बंटी बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए ।कार्यक्रम की शुरुआत सुबह मां कर्मा देवी के पूजन अर्चन के साथ हुई कार्यक्रम के अंतर्गत दिनभर मेहंदी, रंगोली एवं महिला नृत्य प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया जिसमें प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और अपनी कला का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया । वहीं नगर के कम्युनिटी हॉल के सामने खिचड़ी महाप्रसाद का वितरण किया गया ।इसके पश्चात शाम के समय भव्य महाआरती का आयोजन किया गया जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए इस अवसर पर थाली सज्जा प्रतियोगिता भी आयोजित की गई, जिसमें महिलाओं ने आकर्षक और सृजनात्मक थालियां सजाकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया ।इसके पश्चात सांस्कृतिक कार्यक्रम में मुख्यातिथि सांसद मान विवेक बंटी साहू , विशिष्ट अतिथि राष्ट्रीय तेली साहू महासंघठन इकाई युवा अध्यक्ष अशोक नोखेलाल साहू , राष्ट्रीय संगठन मंत्री गिरीश साहू , जिलाध्यक्ष सोनू साहू , शिव साहू , राहुल साहू , सुनील साहू शामिल हुए आयोजन समिति के सदस्यों ने अतिथियों का आत्मीय स्वागत किया ।मान सांसद ने कहा कि मां कर्मा के आदर्शों को प्रेरणादायक बताते हुए समाज को एकजुट रहने का संदेश दिया उन्होंने ऐसे आयोजनों को समाज की संस्कृति और परंपराओं को सशक्त करने वाला बताया।सांस्कृतिक कार्यक्रम में बच्चों ने आकर्षक प्रस्तुतियां दीं आयोजन समिति द्वारा प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कृत कर उनका उत्साहवर्धन किया गया ।कार्यक्रम में नगर अध्यक्ष अशोक साहू, समिति से पवन साहू, मुकेश साहू, अभिलेश साहू, अनिल साहू, शरद साहू, बंटी प्रमेंद्र साहू, दीपक साहू,लखन साहू, मोहित साहू, उमाशंकर साहू, आकाश साहू, सजल साहू, पंकज साहू समाज वरिष्ठजन, महिलाएं एवं युवा बड़ी संख्या में उपस्थित रहे ।

इथेनॉल कंपनी की मनमानी से किसान बेहाल: न्याय के लिए एसडीएम की चौखट पर पहुँचा पीड़ित

सौंसर। विकास की अंधी दौड़ में अन्नदाता की सुध लेने वाला कोई नहीं है। सौसर के सिलोरा क्षेत्र में संचालित इथेनॉल कंपनी की लापरवाही के कारण एक किसान का परिवार दाने-दाने को मोहताज होने की कगार पर है। कंपनी के ट्रकों से उड़ने वाली धूल और वहां फैल रही गंदगी से परेशान होकर किसान नजीर अहमद ने सौसर एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर न्याय की गुहार लगाई है।पीड़ित किसान नजीर अहमद ने बताया कि उनका खेत इथेनॉल कंपनी के बिल्कुल समीप स्थित है। कंपनी में आने-जाने वाले ट्रकों का रास्ता उनके खेत के पास से ही गुजरता है। प्रतिदिन करीब 45 से 50 भारी ट्रकों की आवाजाही होती है, जिससे उड़ने वाली धूल की मोटी परत उनकी फसलों पर जम गई है। इस धूल और प्रदूषण के कारण फसलें पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं, जिससे भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है। शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया है कि केवल धूल ही नहीं, बल्कि रात्रि के समय ट्रकों के साथ आने वाले चालक भी खेत के आसपास गंदगी फैलाते हैं। किसान का आरोप है कि चालकों द्वारा खेत के हिस्से का उपयोग रहने और गंदगी करने के लिए किया जा रहा है, जिससे खेती करना दूभर हो गया है। किसान अहमद ने बताया कि इस समस्या को लेकर उन्होंने कई बार कंपनी प्रबंधन और मैनेजर से मुलाकात की। उनसे फसलों के नुकसान का मुआवजा देने और खेत में फैल रही गंदगी को साफ करने की मांग की गई, लेकिन कंपनी प्रबंधन ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। प्रबंधन के इस अड़ियल रवैये से किसान और उसका परिवार मानसिक और आर्थिक रूप से अत्यंत दुखी है। अपनी मेहनत की कमाई को आंखों के सामने बर्बाद होता देख, अब किसान ने प्रशासन का दरवाजा खटखटाया है। एसडीएम को सौंपे गए ज्ञापन में किसान ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने और कंपनी की गतिविधियों से हुए नुकसान की भरपाई कराने की मांग की है।

भोलेनाथ सेवा समिति धार्मिक न्यास को भेंट किया गया वाटर कूलर

जुन्नारदेव। नगर की प्रसिद्ध देव स्थलीय पहली पायरी जुन्नारदेव विशाला की भोलेनाथ सेवा समिति धार्मिक न्यास के प्रयास से बीते दिनों सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया शाखा जुन्नारदेव द्वारा पहली पायरी जुन्नारदेव विशाला के प्राचीन गणेश हनुमान मंदिर प्रांगण हेतु वाटर आर.ओ. भेंट किया गया था वहीं वर्तमान में संतोष सोनी न्यास के उपाध्यक्ष द्वारा वाटर कूलर श्री भोलेनाथ सेवा समिति धार्मिक न्यास पहली पायरी जुन्नारदेव दमामी को प्रदाय किया गया है। वाटर आर.ओ. एवं ठंडे पानी की मशीन का शुभारंभ 17 मार्च मंगलवार एस.डी.एम. जुन्नारदेव द्वारा नगरपालिका अध्यक्ष रमेश सालोडे, ट्रस्ट के अध्यक्ष तहसीलदार जुन्नारदेव एवं ट्रस्ट के पदाधिकारी अमरदीप राय संयोजक, उपाध्यक्ष संतोष सोनी, अभिषेक चौरसिया, कोषाध्यक्ष संतोष कुमार सोनी, सह सचिव शंकर कुमरे, सदस्य तरूण उपाध्याय, राजेन्द्र शर्मा, वीरेन्द्र अग्रवाल, राधे पवार, अजय धुर्वें, पुजारी लक्ष्मण जोशी एवं ग्रामीणो की उपस्थिति में किया गया। पहली पायरी जुन्नारदेव विशाला में आने वाले श्रध्दालुओ को अब शुद्ध एवं ठंडा पेयजल उपलब्ध हो पायेगा। न्यास द्वारा सभी गणमान्य नागरिको एवं ग्रामीणो से न्यास को सहयोग करने की अपील की गई। जिससे आने वाले श्रद्धालुओं को अधिक से अधिक सुविधायें उपलब्ध कराई जा सके।

बोरगांव में अवैध शराब की बिक्री से आक्रोश

हरिभूमि न्यूज ▶▶ सौसर

ग्राम पंचायत बोरगांव में धड़ल्ले से बिक रही अवैध शराब के खिलाफ अब ग्रामीण महिलाओं ने आर-पार की लड़ाई का बिगुल फूंक दिया है। क्षेत्र के बिगड़ते माहौल और बढ़ती अव्यवस्था से त्रस्त होकर बड़ी संख्या में महिलाओं ने अनुविभागीय अधिकारी सौसर एवं आबकारी विभाग को ज्ञापन सौंपकर शराब ठेकेदार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

महिलाओं ने प्रशासन को सौंपे ज्ञापन में गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि बोरगांव के वार्ड क्रमांक 12 में शराब ठेकेदार द्वारा 24 घंटे अवैध रूप से शराब बेची जा रही है। आरोप है कि ठेकेदार द्वारा रेमंड और लोधीखेड़ा से अवैध शराब लाकर यहाँ खपाई जा रही है। इसके चलते क्षेत्र में आए दिन शराबियों द्वारा विवाद और अभद्रता की घटनाएं हो रही हैं, जिससे कानून व्यवस्था और सामाजिक वातावरण पूरी तरह दूषित हो चुका है।

वरिष्ठ कांग्रेस नेता भागवतराव महाजन ने इस मुद्दे पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि लोधीखेड़ा, बोरगांव,रेमंड चौक जैसे क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर अवैध शराब का कारोबार फल-फूल रहा है। बार-बार आबकारी विभाग और शासन-प्रशासन को सूचित करने के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं होना विभाग की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगाता है। बोरगांव सरपंच पंकज श्रीपत दातरकर ने दो टूक शब्दों में कहा है कि यदि शराब ठेकेदार द्वारा अवैध बिक्री को तत्काल बंद नहीं किया गया, तो ग्राम पंचायत और ग्रामीण मिलकर उग्र आंदोलन करेंगे।ज्ञापन सौंपने के दौरान उपसरपंच घनश्याम कालपांडे, जिम्मी टाकभावरे सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण महिलाएं जागरूक नागरिक उपस्थित रहे।

13 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त

हरिभूमि न्यूज ▶▶ मण्डला/भुआबिछिया

कलेक्टर सोमेश मिश्रा के आदेशानुसार एवं अनुभागीय अधिकारी (राजस्व) बिछिया सोनाली देव के निर्देशन में खाद्य सुरक्षा एवं गैस उपयोग संबंधी नियमों के पालन हेतु विशेष जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान बिछिया क्षेत्र के इंडियन बिरयानी (बस स्टैंड बिछिया) आजाद बिरयानी बिछिया, कान्हा फॉरेस्ट होम स्टे सरही तथा नर्मदा भोजनालय बंजारी में संयुक्त रूप से निरीक्षण किया गया- जांच के दौरान इन प्रतिष्ठानों में घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग पाया गया कार्रवाई करते हुए कार्यपालिक मजिस्ट्रेट श्री इंद्रजीत सिंह एवं कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी बिछिया श्रीमती रश्मि गौतम द्वारा कुल-13 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए गए तथा मौके पर ही जप्ती पंचनामा की कार्यवाही की गई।दिनांक 17.03.2025 को तहसील नारायणगंज क्षेत्र में घरेलू गैस सिलेंडरों के व्यवसायिक दुरुपयोग के विरुद्ध सघन जांच अभियान चलाया गया। जांच के दौरान विभिन्न होटल एवं ढाबों में घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडरों का व्यवसायिक उपयोग पाया गया। जांच में निम्न प्रतिष्ठानों में सिलेंडर पाए गये जिसमें होटल ऑन एवं ढाबा पर कुल 10 घरेलू गैस सिलेंडर व्यवसायिक उपयोग में पाए जाने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम (EC Act) के तहत प्रकरण दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की गई। यह कार्रवाई तहसीलदार नारायणगंज श्री संगम पटले, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी श्री अजय झारिया मुख्यालय पटवारी धर्मेंद्र आरमो आरक्षक प्रशांत बघेल के नेतृत्व में राजस्व विभाग एवं पुलिस विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की संयुक्त टीम द्वारा की गई।

खबर संक्षेप

श्रीमद् भागवत कथा का हुआ भव्य समापन

मण्डला। जिले के ग्राम हिरदेनगर स्थित कालिका झरोपी कुंज में आयोजित सात दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा महापुराण ज्ञान यज्ञ का भव्य समापन हुआ। समापन अवसर पर हवन-पूजन भंडारा के साथ प्रसादी वितरण किया गया। जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लेकर पुण्य लाभ अर्जित किए। कथा का आयोजन 10 मार्च से प्रारंभ होकर 17 मार्च तक चला जिसमें प्रतिदिन दोपहर से सायं तक श्रद्धालु कथा श्रवण के लिए उपस्थित रहे। कथा के अंतिम दिवस यज्ञ, हवन एवं पूर्णाहुति के साथ पूरे क्षेत्र में भक्तिमय माहौल देखने को मिला। कथावाचक परम पूज्य संत प्रवर सिया बल्लभदास वेदांती जी महाराज अयोध्या धाम द्वारा श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से भगवान श्रीकृष्ण की लीलाओं, भक्ति, धर्म और मानव जीवन के मूल्यों का विस्तार से वर्णन किया गया। कथा के दौरान महारास, श्रीकृष्ण-रुक्मिणी विवाह, गोवर्धन लीला एवं सुदामा चरित्र जैसे प्रसंगों ने श्रद्धालुओं को भावविभोर कर दिया। समापन दिवस पर विधि-विधान से हवन-पूजन किया गया जिसके पश्चात श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया। आयोजन स्थल पर सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ी जिससे पूरा वातावरण भक्ति रस में डूबा नजर आया। इस धार्मिक आयोजन के मुख्य यजमान श्री प्रकाश-ज्योति मिश्रा परिवार रहे जिनके द्वारा पूरे आयोजन को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई। आयोजक भाजपा जिला अध्यक्ष प्रफुल्ल मिश्रा, अनिल मिश्रा एव समस्त मिश्रा परिवार ने भागवत कथा के आयोजन में उपस्थित धर्मप्रेमियों का आभार व्यक्त किया है। वहीं कथा का श्रवण करने प्रभारी मंत्री दिलीप जायसवाल, सासंद फग्गन सिंह कुलस्ते, कैबिनेट मंत्री श्रीमति सम्पतिया उईके सहित अनेक जनप्रतिनिधि समाजसेवी एवं

रिश्वतखोर तकनीकि अधिकारी करा रहा करोड़ों के निर्माण कार्य

रिश्वत लेते पकड़ाया, फिर भी पद पर काबिज

*** जनजातीय मंत्रालय के आदेश की अनदेखी।**

हरिभूमि न्यूज ▶▶ मण्डला

पारदर्शी शासन-ईमानदार प्रशासन जैसे शब्द सुनने में बड़े अच्छे लगते हैं लेकिन इन नारो की जो दुर्गति इन दिनों मण्डला में हो रही है वह बहुत ही शर्मनाक है। एक तकनीकि अधिकारी शासकीय कार्यों में रहते हुये रिश्वत लेता है लोकायुक्त द्वारा उसे रंगे हाथों पकड़ा जाता है लेकिन इसके बाद भी वह धड़ल्ले से उसी पद पर काबिज रहते हुये जिले में न केवल करोड़ों के निर्माण कार्य रहा है बल्कि करोड़ों रूपये के भुगतान के बिल भी उसी के द्वारा पास किये जा रहे हैं जबकि जनजातीय कार्य विभाग मंत्रालय के द्वारा उसके स्थानांतरण का आदेश निकाला गया पुलिस अधीक्षक विशेष स्थापना पुलिस लोकायुक्त कार्यालय द्वारा उसे अन्यंत्र स्थानांतरित करने के आदेश जारी किये गये इन सबके बावजूद सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग मण्डला द्वारा न तो उसका स्थानांतरण ही किया गया और न ही जनजातीय मंत्रालय के आदेश का पालन करते हुये उसे मण्डला से कार्य मुक्त किया गया। शायद सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग मण्डला इतनी पहुंच वाली है कि उनके सामने न तो मंत्रालय का आदेश ही कोई अहमियत रखता है और न ही लोकायुक्त के निर्देशों की कोई हैसियत है।

11 सितम्बर 2025 को लोकायुक्त की टीम ने कार्यवाही करते हुये जनजातीय कार्य विभाग में पदस्थ सहायक यंत्री नरेन्द्र गुप्ता को 20 हजार रूपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा था अनूपपुर जिले के बिल्डर द्वारा शिकायत की गई थी कि उसके काम के बिल भुगतान के बदले नरेन्द्र गुप्ता उससे 56 हजार रूपये रिश्वत मांग की जा रही थी और यह 20 हजार रूपये उस रिश्वत की पहली किस्त थी जिसे लेते हुये नरेन्द्र गुप्ता को रंगे हाथों लोकायुक्त पकड़ लिया था भ्रष्टाचार निर्माण अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था और फिर 16 सितम्बर 2025 को पुलिस अधीक्षक विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त कार्यालय जबलपुर संभाग द्वारा एक पत्र प्रमुख सचिव आदिम जाति कल्याण विभाग को भेजा गया जिसमें इस तकनीकि अधिकारी को अन्यंत्र स्थानांतरित करने की बात कही गई थी जिसकी प्रति सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग मण्डला को भी भेजी गई लेकिन नरेन्द्र गुप्ता को पद से न तो हटाया गया और न ही उन्हें अन्यंत्र स्थानांतरित किया गया।

इसके बाद 02 जनवरी 2026 को मध्यप्रदेश शासन जनजातीय कार्य विभाग मंत्रालय भोपाल द्वारा एक आदेश जारी होता है जिसमें नरेन्द्र कुमार गुप्ता उच्च पद प्रभार प्राप्त सहायक यंत्री (मूल पद उपयंत्री) कार्यालय सहायक आयुक्त मण्डला को जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति विकास जिला बुरहानपुर में सहायक यंत्री के रिक्त पद पर आगामी आदेश तक पदस्थ करते हुये कार्यालय संभागीय उपायुक्त जनजातीय कार्य तथा अनुसूचित जाति विकास जबलपुर के अतिरिक्त प्रभार से भार मुक्त किया जाता है और यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा यह भी कहा जाता है। इसके बावजूद सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य तथा अनुसूचित जाति विकास मण्डला द्वारा इस आदेश का पालन आज दिनांक तक नहीं किया गया इस आदेश की प्रति कलेक्टर मण्डला को भी भेजी गई उसके बावजूद भी सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग मण्डला द्वारा इसे स्थानांतरित करना तो दूर बल्कि जो प्रशासन द्वारा 02 अन्य अधिकारी इस विभाग में कार्य हेतु लगाये गये थे उनसे ऊपर इस रिश्वतखोर अधिकारी को न केवल पूरे जिले की जिम्मेदारी सौंपी गई बल्कि समस्त देयको के भुगतान और कार्य के मूल्यांकन का प्रभार इसी रिश्वतखोर अधिकारी को दिया गया है।

इसी तरह से जिले में ऐसे रिश्वतखोरों को प्रोत्साहित किया जाता रहा तो फिर जनता में से कौन ऐसे बेईमान लोगों की शिकायत करेगा, क्यों लोकायुक्त के अधिकारी ऐसे बेईमानों को पकड़ने के लिये रात-दिन एक करेंगे और कैसें हमारे जिले के युवाओं में ईमानदारी की भावना घर करेगी, कैसें प्रशासन पारदर्शी होगा?

लंबित दावों के शीघ्र निराकरण के निर्देश

मण्डला। जिला स्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें कलेक्टर सोमेश मिश्रा द्वारा वनाधिकार से जुड़े लंबित प्रकरणों के शीघ्र निराकरण एवं कार्यवाही में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। बैठक में निर्देशित किया गया कि वनग्रामों को राजस्व ग्राम में संपरिवर्तन की प्रक्रिया को गति दी जाए तथा प्रपत्र 01, 02, 03 पर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। साथ ही एम.पी. वनमित्र पोर्टल पर लंबित दावों की नियमित समीक्षा के लिए प्रत्येक शुक्रवार को बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए गए। कार्य में लापरवाही पाए जाने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की चेतावनी भी दी गई। कलेक्टर ने संपरिवर्तन प्रक्रिया के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों से दावा फार्म भरवाने की प्रगति की समीक्षा करते हुए अमान्य दावों पर स्पष्ट कारण सहित अभिमत प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। साथ ही पूर्व में निरस्त दावों के पुनः परीक्षण में लंबित 2 प्रकरणों के शीघ्र निराकरण के लिए जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देशित किया गया। बैठक में यह भी निर्देश दिए गए कि वनमित्र पोर्टल पर दर्ज नवीन व्यक्तिगत दावों का निराकरण ग्राम एवं उपखंड स्तर पर समयबद्ध तरीके से किया जाए। वहीं, सामुदायिक वन संसाधन से संबंधित प्राप्त दावों को ग्राम एवं उपखंड स्तरीय वनाधिकार समितियों की अनुशंसा के साथ जिला स्तरीय समिति को भेजा जाए। उपखंड स्तरीय वनाधिकार समिति बिछिया से प्राप्त 51 मान्य एवं 54 अमान्य दावों के निराकरण के लिए भी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए।

खबर संक्षेप

मेडिकल बोर्ड 18 मार्च को आमजनों से रक्तदान की अपील

सिवनी। सिविल सर्जन एवं मुख्य अस्पताल अधीक्षक ने जानकारी दी है कि 19 मार्च से 22 मार्च तक लगातार चार दिन के शासकीय अवकाश के कारण जिला मेडिकल बोर्ड का आयोजन बुधवार 18 मार्च को जिला चिकित्सालय सिवनी में किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिला अस्पताल के ब्लड सेंटर में रक्त की कमी को देखते हुए गर्भवती महिलाओं, दुर्घटना पीड़ितों, सिकल सेल और थैलेसीमिया मरीजों के लिए समय पर रक्त उपलब्ध कराने हेतु आम नागरिकों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं से रक्तदान करने की अपील की गई है। जिससे जरूरतमंद मरीजों को समय पर ब्लड मिल सके।

आरटीई अंतर्गत निःशुल्क प्रवेश के लिए आवेदन आमंत्रित

सिवनी। जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केंद्र सिवनी द्वारा जानकारी देकर बताया गया कि सत्र 2026-27 के लिए आरटीई अंतर्गत निजी स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 28 मार्च 2026 है, जबकि दस्तावेज सत्यापन 30 मार्च 2026 तक जनशिक्षा केंद्रों में किया जाएगा। आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही मान्य होंगे इस योजना में कमजोर वर्ग और वंचित समूह के बच्चों को प्रवेश मिलेगा। पात्र बच्चों का चयन ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। जिले में अब तक 1066 आवेदन हुए हैं, लेकिन केवल 364 का सत्यापन हुआ है। इसलिए अभिभावकों से अपील की गई है कि जल्द सत्यापन कराएं, तभी बच्चे लॉटरी में शामिल हो सकेंगे। अधिक जानकारी के लिए नजदीकी स्कूल या जनशिक्षा केंद्र से संपर्क करें।

लू तापाघात से बचाव के लिए एडवाइजरी जारी

सिवनी। सचिव गृह एवं समन्वयक म.प्र.राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण भोपाल द्वारा लू तापघात के प्रकोप से बचाव के लिए एडवाइजरी जारी करते हुये नागरिकों से गर्मी के मौसम में एहतियात बरतने की सलाह दी है। भारतीय मौसम विभाग द्वारा जारी मौसमी दृष्टिकोण के अनुसार प्रदेश सहित समस्त मध्य भारत में मार्च-मई 2026 का तापमान औसत तापमान से अधिक होने की संभावना है। इसके कारण प्रदेश के अधिकांश भागों में लू तापघात की स्थिति निर्मित हो सकती है। लू (तापघात) से बचाव हेतु अपनाई जाने वाली सावधानियां- जनसामान्य पानी, छांछ, ओ.आर.एस. का घोल या घर में बने पेय जैसे लस्सी, नीबू पानी, आम का पना इत्यादि का सेवन कर तरो-ताजा रहें। यथा संभव दोपहर 12 से 03 बजे धूप में बाहर निकलने से बचें। धूप में निकलते समय अपना सिर ढक कर रखें। कपड़े, टोपी अथवा छतरी का उपयोग करें।

खेल मैदान के नाम पर लाखों का बंदरबांट, धनककड़ी पंचायत में कागजों में खेल मैदान का कार्य, जमीन पर कुछ नहीं?

मुकेश साहू, लखनादौन। जनपद पंचायत लखनादौन अंतर्गत ग्राम पंचायत धनककड़ी में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप सामने आए हैं। मनरेगा योजना के तहत खेरमाई मंदिर के पास खेल मैदान निर्माण के नाम पर लाखों रुपये खर्च दिखा दिए गए, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि मौके पर किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं हुआ है। ग्रामीणों का आरोप है कि पंचायत द्वारा कागजों में खेल मैदान का निर्माण पूरा दिखाकर सरकारी राशि का बंदरबांट कर लिया गया। जबकि स्थल पर न तो मैदान समतलीकरण हुआ है और न ही कोई अन्य निर्माण कार्य दिखाई देता है।बताया जा रहा है कि इससे पहले भी पंचायत में सामुदायिक शौचालय निर्माण के नाम पर 99 हजार 500 रुपये की राशि निकाल ली गई थी। बिलों में रेत, गिट्टी और सीमेंट का उपयोग दिखाया गया, लेकिन आज तक शौचालय का निर्माण नहीं हो पाया, जिससे पंचायत की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं।सूत्रों के अनुसार खेल मैदान निर्माण कार्य में 18 से 20 मजदूरों के नाम से मनरेगा में मजदूरी दर्ज कर लगभग 181 मानव दिवस का कार्य दिखाया गया है। ग्रामीण युवाओं का कहना है कि उन्होंने मौके पर ऐसा कोई कार्य होते नहीं देखा। इतना ही नहीं, इस मामले को लेकर सीएम हेल्पलाइन 181 में भी शिकायत दर्ज कराई गई है।ग्रामीणों का आरोप है कि पंचायत प्रतिनिधियों और अधिकारियों की मिलीभगत से शासकीय योजनाओं की राशि का खुलेआम दुरुपयोग किया जा रहा है। वहीं जनपद पंचायत लखनादौन के जिम्मेदार अधिकारी पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं, जिससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलने की बात कही जा रही है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए और दोषी पंचायत प्रतिनिधियों व संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि सरकारी योजनाओं में हो रहे इस तरह के भ्रष्टाचार पर लगाम लगे।

गौ-तस्करों पर कड़ा प्रहार

बंडोल पुलिस ने आयसर ट्रक जप्त कर मुक्त कराये 27 नग गौवंश

पुलिस अधीक्षक सिवनी सुनील कुमार मेहता के द्वारा गौवंश वध, अवैध परिवहन करने वालो के विरूध्द सख्त कार्यवाही हेतु समस्त थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया है व अवैध गौवंश हत्या, परिवहन करने वालो की सूचना देने वाले मुखबिरो को नगद ईनाम से पुरूस्कृत करने हेतु घोषणा की गई है।

पुलिस अधीक्षक सिवनी सुनील कुमार मेहता निर्देशन मे, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सिवनी दीपक मिश्रा, नगर पुलिस अधीक्षक सिवनी श्री सचिन परते के मार्गदर्शन मे थाना प्रभारी बंडोल उ.नि. मनोज जंघेला एवं उनकी टीम द्वारा थाना क्षेत्र मे लगातार गौवंश पर कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में दिनांक 17.03.2026 को मुखबिर की सूचना पर पुलिस स्टाफ द्वारा गोरखपुर चौराहे पर वाहन चैकिंग लगाई गई एवं घेराबंदी कर एक अशोक लीलेण्ड आयसर ट्रक क्रमांक CG-08-AV-8312 को पकडा गया। आरोपी अंधेरे का लाभ उठाकर भाग गये। उक्त ट्रक क्र. CG-08-AV-8312 को चैक करने पर ट्रक के डाला के अंदर 27 नग गौवंश जिसमें 16 नग गाय (01 मृत), 11 नग नाटा कुल 27 नग गौवंश (मवेशी) जिनको क्रूरता पूर्वक ठूस ठूस कर बिना चारा पानी के गौवंश मवेशी सिर, पैर, सिंग एक दूसरे की रस्सियों से कसकर क्रूरतापूर्वक भरे गये थे, जिन्हें मुक्त कराया गया एवं सुरक्षित बरघाट गौशाला पहुंचाया गया। अज्ञात आरोपीगणो के विरूध्द अपराध क्रमांक 77/26 धारा-4, 6, 9, म. प्र. गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम, 6 (क), 6 (ख) (1) म.प्र. कृषक पशु परिरक्षण अधि. 11(1) (घ) पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 325, बीएनएस 184, 66/192 मो. व्ही एक्ट के तहत अपराध पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया। जप्ती:- 16 नग गाय (01 मृत), 11 नग नाटा कुल 27 नग गौवंश कीमती 2,50,000/-रूपये ट्रक क्र. CG-08-AV-8312 कीमती 7,00,000/-रूपये कुल जप्ती 9,50,000/- रूपये

गर्ल्स कॉलेज सिवनी में सर्वाइकल कैंसर व माहवारी स्वच्छता पर जागरूकता कार्यशाला आयोजित

सिवनी। गर्ल्स कॉलेज सिवनी में गूंज संस्था की ओर से सर्वाइकल कैंसर एवं माहवारी स्वच्छता प्रबंधन विषय पर एक महत्वपूर्ण जागरूकता कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यक्रम का उद्देश्य छात्राओं को स्वास्थ्य, स्वच्छता और महिलाओं से जुड़ी गंभीर बीमारियों के प्रति जागरूक बनाना रहा। कार्यशाला के दौरान श्रीमती अनुसूइया पटवा ने छात्राओं को सर्वाइकल कैंसर के लक्षण, बचाव और इसके टीकाकरण के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि समय पर लगाया गया टीका इस गंभीर बीमारी से बचाव में अत्यंत सहायक होता है तथा इसे किस उम्र में और किस प्रकार लगवाना चाहिए, इसकी भी जानकारी छात्राओं को दी गई। वहीं श्रीमती मनीषा चौहान ने माहवारी के दौरान स्वच्छता बनाए रखने के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने सेनेटरी पैड के सही उपयोग और उपयोग के बाद उसके सुरक्षित निस्तारण के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि माहवारी स्वच्छता प्रबंधन अपनाकर महिलाएं कैंसर सहित कई गंभीर बीमारियों से स्वयं को सुरक्षित रख सकती हैं।

इस अवसर पर छात्राओं को इको-फ्रेंडली सेनेटरी पैकेट का वितरण भी किया गया, ताकि वे सुरक्षित और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार विकल्प अपना सकें। कार्यक्रम का एक विशेष क्षण उस समय रहा जब गूंज संस्था की ओर से उन छात्राओं को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया, जिन्होंने बाल विवाह के विरोध में आयोजित नुक्कड़ नाटक में भाग लेकर समाज में जागरूकता फैलाने का सराहनीय कार्य किया। गूंज संस्था का उद्देश्य युवतियों को स्वास्थ्य, स्वच्छता और सामाजिक कुरीतियों के प्रति जागरूक बनाकर उन्हें सशक्त बनाना है। कार्यक्रम में गूंज संस्था की संतोष भूरा, मीना ठाकुर, कॉलेज प्रबंधन तथा अलका उइके मैडम का विशेष सहयोग रहा।

बंदूक का लायसेंस बनवाने के नाम पर ठगी करने वाला दूसरा आरोपी भी पुलिस की गिरफ्त में

सिवनी। पुलिस अधीक्षक सुनील मेहता के नेतृत्व एवं एएसपी दीपक मिश्रा एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस सचिन परते के मार्गदर्शन में बंदूक का लायसेंस बनवाने के नाम पर ठगी करने वाले दूसरे फरार आरोपी महेश राय को पकडने में कोतवाली पुलिस ने सफलता प्राप्त की है। उल्लेखनीय है कि दिनांक 29/11/2025 को प्रार्थी राकेश राय निवासी रघुनाथ नगर रिलायंस टावर के पास सी.व्ही. रमन वार्ड सिवनी द्वारा थाना कोतवाली सिवनी में रिपोर्ट लेख कराई गई थी कि राकेश का सगा मामा शरद राय एवं शरद राय का साला महेश राय द्वारा बंदूक का लायसेंस बनवाने के नाम पर प्रार्थी राकेश राय के साथ 9,94,000/- रुपये की ठगी करने की रिपोर्ट पर धारा 318(4),62(2) (क) बीएनएस का अपराध पंजीबध्द किया गया था। विवेचना दौरान अभियुक्त शरद राय को दिनांक 02/12/2025 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल दाखिल किया गया था, जबकि मुख्य अभियुक्त महेश राय घटना के पश्चात लगातार फरार चल रहा था। जिसे दिनांक 11/03/2026 को गिरफ्तार कर अपराध के संबंध में पूछताछ करने पर उसके द्वारा स्वीकार किया गया कि उसने ठगी के पैसों से एक नई मोटर सायकिल एवं अपने महेन्द्रा कम्पनी के ट्रेक्टर की फायनेंस की किश्तें चुकाना बताने पर मोटर सायकिल एवं महेन्द्रा ट्रेक्टर को विधिवत जप्त किया जाकर आरोपी को जे. आर. पर जेल दाखिल किया गया है। आरोपी द्वारा राकेश राय से ठगी से लिये हुए रूपयों को खर्च करना बताया है जिस हेतु आवश्यकता पडने पर भविष्य में आरोपी महेश राय द्वारा खर्च किये हुए रूपयों की बरामदगी हेतु पुनः माननीय न्यायालय से पी.आर.लिया जावेगा।

गिरफ्तार आरोपीः- महेश राय पिता कंचनलाल राय उम्र 45 वर्ष निवासी ग्राम समनापुर चौकी पलारी थाना केवलारी जिला सिवनी जप्तीः- एक होंडा साइन मोटर सायकिल क्रमांक MP 22 ZG 9879 एवं एक महेन्द्रा कम्पनी का ट्रेक्टर क्र. MP 232 AB 4308 कीमती करीबन 5,00,000/- (पांच लाख रुपये) विशेष भूमिकाः- निरीक्षक सतीश तिवारी, उनि दयाराम शरणागत, राहुल काकोडिया, सउनि. जसवंत ठाकुर, प्र.आर. मनोज पाल,आर. सुधीर डहेरिया, सिध्दार्थ दुबे, सतीश इनवाती, प्रदीप चौधरी एवं चालक इरफान की सराहनीय भूमिका रही।

सड़क हादसा, अधेड़ घायल

सिवनी जिले के घंसौर क्षेत्र में निधानी के पास मंगलवार सुबह एक सड़क हादसे में एक राहगीर गंभीर रूप से घायल हो गया। तेज रफ्तार बाइक की टक्कर से यह घटना हुई, जिसके बाद बाइक चालक मौके से फरार हो गया। घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घंसौर में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार, निधानी निवासी 50 वर्षीय किसान तेज सिंह मंगलवार सुबह करीब 6 बजे सड़क किनारे पैदल जा रहे थे। इसी दौरान बाइक ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि तेज सिंह सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद आसपास मौजूद ग्रामीणों ने तुरंत घायल तेज सिंह की सहायता की। उन्होंने तत्काल 108 एम्बुलेंस सेवा को सूचना दी, जिसके बाद एम्बुलेंस टीम घटनास्थल पर पहुंची। प्राथमिक उपचार के बाद घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घंसौर ले जाया गया, जहां उनका इलाज जारी है।प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि दुर्घटना के समय सड़क पर आवाजाही कम थी, लेकिन बाइक चालक की लापरवाही और तेज गति हादसे का कारण बनी। ग्रामीणों ने प्रशासन से क्षेत्र में तेज रफ्तार और लापरवाह वाहन चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।

घरेलू एलपीजी सिलेंडरों के व्यावसायिक उपयोग व अवैध भंडारण पर कार्रवाई, 71 सिलेंडर जब्त

सिवनी। कलेक्टर श्रीमती शीतला पटले के निर्देशन में जिले में घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडरों के अनाधिकृत व्यावसायिक उपयोग तथा अवैध भंडारण के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में विभिन्न स्थानों पर की गई जांच के दौरान कुल 71 गैस सिलेंडर जब्त किए गए हैं। तहसील कुरई के ग्राम पचधार स्थित एक फार्महाउस के निरीक्षण में भरे एवं खाली कुल 49 कमर्शियल गैस सिलेंडर पाए जाने पर उन्हें मौके से जब्त किया गया।लखनादौन के वार्ड क्रमांक-2 में श्रीमती उर्मिला रमाकांत के घर पर जांच के दौरान एचपी कंपनी के 2 भरे तथा 2 खाली घरेलू एलपीजी सिलेंडर अवैध रूप से भंडारित पाए गए, जिन्हें जब्त किया गया। इसी प्रकार ग्राम आदेगांव में एक दुकान के निरीक्षण में 6 घरेलू एलपीजी सिलेंडर पाए जाने पर उन्हें जब्त कर संबंधित गैस एजेंसी के सुपुर्द किया गया, वहीं नेमा ढाबा, आगरा-मथुरा फैमिली ढाबा, तारिफ ढाबा एवं पंजाबी ढाबा की जांच के दौरान घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग करते पाए जाने पर 10 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए गए। इसके अतिरिक्त सिवनी विकासखण्ड के इंदावाड़ी स्थित साहू ढाबा में निरीक्षण के दौरान 2 घरेलू एलपीजी सिलेंडर उपयोग करते पाए जाने पर उन्हें भी जब्त किया गया।

जिला स्तरीय जनसुनवाई में 221 आवेदन प्राप्त

सिवनी। प्रत्येक मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित होने वाली जिलास्तरीय जनसुनवाई कलेक्टर श्रीमती शीतला पटले की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। जनसुनवाई में कुल 190 आवेदन प्राप्त हुए। इस अवसर पर अपर कलेक्टर सुश्री सुनीता खंडायत सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। वहीं सभी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं विकासखंड स्तरीय अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जनसुनवाई से जुड़े। जिला स्तरीय जनसुनवाई में तहसील छपारा अंतर्गत तकिया वार्ड वार्ड नं 06 निवासी सोहनलाल झारिया द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाये जाने विषयक, तहसील लखनादौन अंतर्गत निवारी टोला निवासी नोखेलाल झारिया द्वारा आबादी भूमि का पट्टा दिलाये जाने विषयक, तहसील केवलारी अंतर्गत ग्राम मरकावाडा निवासी मिथलेश मरकाम द्वारा धारणाधिकार पट्टा दिलाये जाने विषयक, ग्राम बेरढाना छपारा निवासी सूरज प्रसाद भलावी द्वारा अवैध कब्जा हटाए जाने विषयक, तहसील बरघाट अंतर्गत ग्राम जेवनारा निवासी जैयवंता बाई द्वारा एमएसपी पर धान विक्रय की राशि दिलाये जाने विषयक, ग्राम मूंडापार बरघाट निवासी पंकज मडावी द्वारा सही सीमांकन कराए जाने विषयक, लखनादौन निवासी दादूराम गोल्हानी द्वारा नक्शा खसरा नंबर सुधार कराए जाने विषयक, ग्राम बनाथर केवलारी निवासीकोमल प्रसाद पंचेश्वर द्वारा धान खरीदी केंद्र में विक्रय के बाद धान उपार्जन की राशि दिलाये जाने विषयक, ग्राम ऐरपा सिवनी निवासी मनीश लाल परते द्वारा मुआवजा राशि दिलाये जाने विषयक, ग्राम भोमाटोला सिवनी निवासी सुखचैन बंदेवार द्वारा गरीबी रेखा की सूची में नाम दर्ज कराये जाने विषयक, ग्राम सागर सिवनी निवासी नीतेश्वरी सनोडिया द्वारा समग्र आईडी में पिता के नाम में सुधार किये जाने विषयक, ग्राम पलारी निवासी शांति बाई कुमरे द्वारा वृद्धा पेंशन व खाद्यान्न दिलाये जाने विषयक, ग्राम कोडिया बरघाट निवासी ध्यानसिंह मर्सकोले द्वारा सर्पदंश से हुई मृत्यु उपरांत राहत राशि दिलाये जाने विषयक, महावीर वार्ड सिवनी निवासी कैलास कुमार यादव द्वारा नामांतरण आदेश की सत्यापित प्रति दिलाये जाने विषयक, ग्राम बेलगांव केवलारी निवासी अनिल पंचेश्वर द्वारा मृत्यु उपरांत संबल कार्ड पर प्राप्त होने वाली सहायता राशि दिलाये जाने विषयक, ग्राम उगली केवलारी निवासी प्रेमवती द्वारा धान उपार्जन की राशि दिलाये जाने विषयक, वार्ड क्रमांक 12 बरघाट निवासी शैलेष कुमार चौहान द्वारा कैंसर के उचित ईलाज के लिए सहायता राशि दिलाये जाने विषयक, ग्राम चिखली केवलारी निवासी लोकेश कुमार द्वारा रिकार्ड दुरूस्त किये जाने विषयक, ग्राम जुगरई लखनादौन निवासी जुनारी उईके द्वारा शेर इरिगेशन एरिया एवं बडादेव सूक्ष्म सिंचाई परियोजना से सिंचाई जल उपलब्ध कराये जाने विषयक, ग्राम गंगई रैयत छपारा निवासी आशीष कुमार अवधिया द्वारा सागौन वृक्ष कटाई की अनुमति प्रदान किये जाने विषयक, ग्राम जैतपुर निवासी करतार सिंह बघेल द्वारा जन्म प्रमाण पत्र बनाये जाने विषयक, ग्राम डुंगरिया निवासी खिम्मू द्वारा भूमि का नक्शा सुधार कार्य कराये जाने विषयक सहित कुल 221 आवेदन प्राप्त हुए। प्राप्त आवेदनों पर नियमानुसार कार्यवाही कर शीघ्र निराकरण किये जाने के निर्देश कलेक्टर श्रीमती शीतला पटले द्वारा संबंधित विभागीय अधिकारियों को दिये गये।

स्तरीय ग्राम विकास प्रस्फुटन समितियों का एक दिवसीय क्षमता वृद्धि प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न

ग्राम पंचायत बंडोल में जन अभियान परिषद के सेक्टर स्तरीय ग्राम विकास प्रस्फुटन समितियों का एक दिवसीय क्षमता वृद्धि प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न हुआ यह प्रशिक्षण कार्यक्रम जिला समन्वयक सौरभ शुक्ला सर एवं ब्लॉक समन्वयक श्रीमती मोनिका चौरसिया एवं नवांकुर संस्था से कार्यक्रम समन्वयक श्रीमती सीमा गाडपायले के मुख्य अतिथि में प्रारंभ हुआ जिसमें सर्वप्रथम उपस्थित जनों के द्वारा भारत माता के छायाचित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण किया इस दौरान देशभक्ति गीत एवं स्वागत गीत नवांकुर संस्था के द्वारा प्रस्तुत किया गया इस एक दिवसीय क्षमता वर्धन प्रशिक्षण कार्यक्रम में कलार बांकी, बंडोल की ग्राम विकास प्रस्फुटन समिति के पदाधिकारी व सदस्य गणों को आवश्यक जानकारी दी गई इस प्रशिक्षण में कुल 4 साल हुए जिसमें प्रथम सत्र में मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के उद्देश्य, अवधारणा एवं परिषद की योजनाएं विषय पर जानकारी प्रदान की गई दूसरे सत्र में सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम पर जानकारी प्रदान की गई तीसरे सत्र में स्वयं सेवी संस्थाओं का गठन एवं प्रबंधन विषय पर जानकारी वहीं अंतिम सत्र में प्रस्फुटन समितियां का दस्तावेजीकरण विषय पर जानकारी दी गई यह कार्यक्रम यह प्रशिक्षण ग्राम विकास प्रस्फुटन समितियों के लिए क्षमता वृद्धि का कार्य करेगा और इससे समितियां अपने ग्राम में स्वेच्छा से अच्छे से कार्य कर पाएगी कार्यक्रम के अंत में सभी प्रशिक्षण आर्थियों को अतिथि के हस्ते प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया यह कार्यक्रम जिला समन्वयक श्री सौरभ शुक्ला सर एवं ब्लॉक समन्वयक श्रीमती मुनि का चौरसिया एवं नवांकुर संस्था से कार्यक्रम समन्वयक श्रीमती सीमा गढ़पायले के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ इस अवसर पर प्रमुख रूप से जितेंद्र लिल्हारे, डॉ सुनील राय, मनोरंजन सिंह बघेल, अरविंद बघेल, शोभा बघेल परामर्शदाता, विजय यादव, प्रकाश यादव, कैलाश बघेल, राजकुमार कुमार वर्मा, नरेश यादव, शंकर यादव, प्रवीण राय, cmcldp छात्र अनुश्री यादव,वर्षा साहू, की उपस्थिति रही।

विक्रमोत्सव 2026: सूर्य उपासना कार्यक्रम आज

सिवनी। जिला शिक्षा अधिकारी सिवनी द्वारा बताया गया कि प्रशासन के निर्देशानुसार विक्रम संवत 2083 के शुभारंभ अवसर पर 19 मार्च 2026, गुरुवार को जिले में "विक्रमोत्सव 2026 – सूर्य उपासना" का आयोजन किया जाएगा।

कार्यक्रम के तहत प्रातः 5:30 बजे से 7:00 बजे तक बैनगंगा तट, लखनवाड़ा में विक्रम संवत अभिनंदन समारोह आयोजित होगा। इसके बाद प्रातः 10:00 बजे से महारानी लक्ष्मीबाई शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, सिवनी में सम्राट विक्रमादित्य पर आधारित नाट्य प्रस्तुति का मंचन किया जाएगा। इस नाटक का निर्देशन दिनेश सत्यार्थी द्वारा किया जाएगा तथा प्रस्तुति अभिनव प्रयास फाउंडेशन सोसायटी, सिवनी द्वारा दी जाएगी। इस अवसर पर जिला प्रशासन एवं जिला शिक्षा अधिकारी एस.एस. कुमरे ने अधिक से अधिक संख्या में युवाओं, विद्यार्थियों, प्रबुद्ध नागरिकों, जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, कर्मचारियों एवं शिक्षकों से कार्यक्रम में उपस्थित होने की अपील की है।

खबर संक्षेप

जमीन के टुकड़े पर खूनी टकराव! साडरा में लाठी-डंडों की बरसात, गांव बना रणक्षेत्र*

हरिभूमि न्यूज लांजी। लांजी थाना क्षेत्र के साडरा गांव में मंगलवार की **subh** जमीन को लेकर पुराना विवाद अचानक भड़क उठा और देखते ही देखते खूनी संघर्ष में बदल गया। मामूली कहासुनी के बाद दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए और लाठी-डंडों से एक-दूसरे पर हमला कर दिया। इस हिंसक झड़प में कई लोग घायल हो गए, जिससे पूरे गांव में दहशत और तनाव का माहौल बन गया। जानकारी के अनुसार, एक पक्ष से अशोक बिल्लारे एवं ममता बिल्लारे शामिल हैं, जबकि दूसरे पक्ष से पद्माकर बिल्लारे और उनके परिजन मौजूद थे। लंबे समय से चल रहा जमीन विवाद मंगलवार को अचानक उग्र हो गया और स्थिति बेकाबू हो गई।

बेकाबू हिंसा में लहूलुहान, एक की हालत गंभीर

इस दौरान पद्माकर बिल्लारे को गंभीर चोटें आईं। उन्हें तत्काल सिविल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी नाजुक हालत को देखते हुए उच्च स्तरीय उपचार के लिए रेफर कर दिया गया। अन्य घायलों का भी इलाज जारी है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, मारपीट इतनी उग्र थी कि कई लोग मौके पर ही घायल होकर गिर पड़े।

पुलिस ने संभाला मोर्चा, दोनों पक्षों पर काउंटर केस दर्ज

घटना की सूचना मिलते ही लांजी पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को नियंत्रित किया। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर काउंटर मामला दर्ज करते हुए बीएनएस की धारा 296(6), 115(2), 351(3) एवं 3(5) के तहत प्रकरण कायम किया है। फिलहाल पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और गांव में शांति बनाए रखने के लिए लगातार निगरानी रखी जा रही है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

जल गंगा संवर्धन अभियान के लिए कलेक्टर ने ली अधिकारियों की बैठक

बालाघाट जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं संवर्धन तथा जल संरक्षण के लिए आगामी 19 मार्च से प्रदेश के सभी जिलों के साथ ही बालाघाट जिले में भी जल गंगा संवर्धन अभियान प्रारंभ किया जाएगा। जिले में इस अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कलेक्टर श्री मृणाल मीना ने 17 मार्च को अधिकारियों की बैठक लेकर इस अभियान के लिए सभी आवश्यक तैयारियॉ करने के निर्देश दिये। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री अभिषेक सराफ, अपर कलेक्टर श्री जीएस धुर्वे, संयुक्त कलेक्टर श्री राहुल नायक, एसडीएम श्री गोपाल सोनी एवं अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

बैठक में कलेक्टर श्री मीना ने जल गंगा संवर्धन अभियान के प्रति जनजागरूकता के लिए स्कूलों एवं कॉलेजों में निबंध, रंगोली, वाद-विवाद, नारे लेखन आदि प्रतियोगिता आयोजित करने के निर्देश दिये। उन्होंने पीजी कॉलेज के प्राचार्य को निर्देशित किया कि जिले के सभी शासकीय महाविद्यालय भवनों में इस अभियान के अंतर्गत रूफ वाटर हार्वेस्टिंग का कार्य करें। इसी प्रकार जिला शिक्षा अधिकारी को भी शासकीय शाला भवनों में रूफ वाटर हार्वेस्टिंग का कार्य कराने कहा गया। बैठक में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यपालन यंत्री को निर्देशित किया गया कि इस अभियान के अंतर्गत ग्रामों में जल चौपाल का आयोजन करें और ग्रामीणों को जल संरक्षण के प्रति जागरूक करें। इसके साथ ही हैण्डपंप एवं अन्य जल स्त्रोतों के आसपास स्वच्छता तथा सोखपीट की व्यवस्था करने कहा गया।

धार्मिक संगठनों ने कटंगी बंद की दी चेतावनी

हनुमान प्रतिमा में लगाई गई आग, भड़का आक्रोश

पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ दर्ज किया अपराध, जांच विवेचना शुरू

बालाघाट जिले के कटंगी थाना क्षेत्र के ग्राम जाम में स्थित प्राचीन जामेश्वर मंदिर के भीतर मौजूद राम भक्त हनुमान की प्रतिमा को अज्ञात के द्वारा आटे का लेप लगाकर आग लगा दी गई। इस घटना से गांव में भयंकर आक्रोश भड़क गया। आगजनी की इस घटना को सोमवार और मंगलवार की दरमियानी रात्रि में अंजाम दिया गया है।

कटंगी।

मंगलवार की सुबह करीब 06 बजे मंदिर के पुजारी टोरूमल राहंगडाले की बहू ज्ञानता बाई राहंगडाले जो मंदिर में पानी लेने के लिए गई हुई थी। उन्होंने मूर्ति को जली हुई अवस्था में देखा और उल्टे पांव वापस घर की तरफ लौटकर सभी को पूरी बात बताई। जिसके बाद धीरे-धीरे पूरे गांव में मूर्ति में आग लगाने की खबर फैल गई। पुलिस को भी सूचना दी गई सूचना मिलने पर सबसे पहले कटंगी पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। वहीं घटना की गंभीरता को देखते हुए गांव में किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना हो इससे निपटने के लिए तिरोड़ी और अन्य थानों का पुलिस बल भी घटनास्थल पर बुलाया गया। इधर, बड़ी संख्या में ग्रामीण मंदिर में एकत्रित हो गए। मंदिर परिसर में मूर्ति का हाल देखकर ग्रामीणों ने करीब 02 घंटे तक मंदिर परिसर और बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया और सुबह करीब 08 बजे ग्रामीणों ने गांव से पैदल रैली निकालकर कटंगी थाने पहुंचे। यहां हिंदू धार्मिक संगठनों के पदाधिकारियों के साथ ग्रामीणों ने शीघ्र ही अज्ञात आरोपियों की गिरफ्तारी करने की मांग रखी।

घटना की गंभीरता को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक निहित उपाध्याय भी घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने घटनास्थल की बेहद सूक्ष्मता से जांच की है। जांच उपरांत ग्रामीणों की मौजूदगी में प्रतिमा को पुनः चोला अर्पित किया गया। इधर, थाने में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल सहित अन्य धार्मिक संगठनों के पदाधिकारियों के साथ ग्रामीणों ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक निहित उपाध्याय, एसडीएम के.एस.ठाकुर, एसडीओपी अभिषेक चौधरी, थाना प्रभारी धमेन्द्र कुसराम से चर्चा करते हुए आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी करने की मांग रखी। ग्रामीणों ने बिना जांच के ही प्रतिमा को चोला अर्पित करने पर भी विरोध जताया। एसडीओपी अभिषेक चौधरी ने बताया कि अज्ञात के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 298 की कार्रवाई की गई है। हिंदू धार्मिक संगठनों ने विरोध जताते हुए कहा कि मूर्ति को आग लगाने वाले का पता नहीं लगाया गया तो विरोध में आगामी 20 मार्च को कटंगी बंद किया जाएगा। बता दें कि जिस मंदिर की यह घटना है वह काफी प्राचीन मंदिर है ग्रामीणों की मंदिर के प्रति गहरी आस्था है। यहां पर प्रति वर्ष महाशिवरात्रि का मेला भी लगता है और हर दिन ग्रामीण पूजा-अर्चना करने के लिए आते है। ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रतिमा पर पहले आटे का लेप लगाया गया। प्रतिमा के पास में ही दो बड़े आटे के दीपक भी दिखाई दिए। यह दीपक भी आगजनी से जलकर प्रभावित हुए है। मंदिर परिसर के आस-पास कई सिंदूरी रंग से रंगा हुआ चांवल भी बिखरा हुआ दिखाई दिया। गांव में चर्चा है कि तांत्रिक प्रक्रिया करने वालों के द्वारा मंदिर की प्रतिमा को आग लगाई गई है। खैर, पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी कि मंदिर की प्रतिमा को आग किसने लगाई आगजनी के पीछे आखिरकार उसकी मंशा क्या थी। अब पुलिस को क्षेत्र का सामाजिक सौहार्द बना रहे इसलिए इस मामले की गंभीरता से जांच करते हुए तत्काल आरोपियों का पता लगाने की जरूरत है। धार्मिक संगठनों ने साफ कर दिया है कि आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर धरना प्रदर्शन और कटंगी बंद किया जाएगा।

इनका कहना है-

हनुमान जी की प्रतिमा को आग लगाई गई है अज्ञात के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 298 की कार्रवाई की गई है। जिसने घटना कारित है उसका पता लगाया जा रहा है।

अभिषेक चौधरी
एसडीओपी

वरात्रि से पहले खौफनाक मंजर: पांढरीपाठ मंदिर के समीप जंगल में 48 घंटे में दो लाशें, रहस्य गहराया

वारी क्षेत्र के मंदिर के पास युवक-युवती की संदिग्ध मौत, दहशत में ग्रामीण, हर एंगल पर जांच तेज

हरिभूमि न्यूज़ लांजी। नवरात्रि जैसे आस्था के बड़े पर्व के ठीक पहले बहेला थाना क्षेत्र के ग्राम वारी में स्थित पांढरीपाठ देवी मंदिर के समीप जंगल से आई दो सनसनीखेज खबरों ने पूरे इलाके को दहला दिया है। महज 48 घंटे के भीतर एक युवक और एक महिला के शव मिलने से जहां रहस्य गहराया है, वहीं श्रद्धालुओं के बीच भी भय का माहौल बन गया है। आमतौर पर इन दिनों यहां पूजा-अर्चना और श्रद्धालुओं की चहल-पहल बढने लगती है, लेकिन इस घटना ने माहौल को सन्नाटे में बदल दिया है।

दो दिन, दो लाशें... क्या है कनेक्शन ?

सोमवार को सबसे पहले युवक चरणगिरी जोगी (33) का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला था। इसके ठीक अगले दिन उसी इलाके में जमुना यादव नामक महिला का सड़ा-गला शव बरामद हुआ। पुलिस की प्रारंभिक जांच में दोनों के बीच करीबी संबंध होने की बात सामने आई है। बताया जा रहा है कि दोनों 13 मार्च को आखिरी बार साथ देखे गए थे। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर दोनों के साथ जंगल में क्या हुआ?

महिला की हालत ने खड़े किए गंभीर सवाल

महिला का शव बेहद खराब स्थिति में मिला, जिसके आसपास उसके कपड़े बिखरे पड़े थे और शरीर पर चोट के निशान साफ नजर आए। इससे किसी बड़ी आपराधिक घटना की आशंका जताई जा रही है। वहीं युवक की मौत भी संदिग्ध परिस्थितियों में हुई थी, जिससे दोनों घटनाओं के तार जुड़ते नजर आ रहे हैं। क्षेत्र में तरह-तरह की चर्चाएं भी तेज हो गई हैं।

नवरात्रि से पहले दहशत, जांच में जुटी पुलिस

नवरात्रि नजदीक होने के कारण मां पांढरीपाठ मंदिर क्षेत्र में हर साल श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है। लेकिन इस बार इस खौफनाक घटनाक्रम ने लोगों के मन में डर बैठा दिया है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए फॉरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया है और हर पहलू पर जांच शुरू कर दी है। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। पुलिस आसपास के ग्रामीणों, मंदिर से जुड़े लोगों और संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ कर रही है। फिलहाल इस दोहरी मौत का रहस्य बरकरार है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही इस सनसनीखेज मामले से पर्दा उठेगा।

धार्मिक संगठनों के पदाधिकारियों और स्थानीय रहवासियों ने सौंपा ज्ञापन-

कथित चर्च की इमारत के निर्माण पर रोक लगाने की मांग

कटंगी।

हिंदू धार्मिक संगठन विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के पदाधिकारियों और नगर के वार्ड क्रमांक 12 गोसाई मोहल्ला के स्थानीय रहवासियों ने मंगलवार की दोपहर साढ़े 12 बजे थाना पहुंचकर एसडीएम और थाना प्रभारी को एक ज्ञापन सौंपकर वार्ड में बनने वाली कथित चर्च की इमारत के निर्माण पर रोक लगाने की मांग की है। एसडीएम ने शीघ्र जांच करवाकर कार्रवाई करने का भरोसा दिया है। स्थानीय रहवासियों ने आरोप लगाया कि उनके वार्ड में अज्ञात व्यक्ति के द्वारा अवैध रूप से चर्च का निर्माण किया जा रहा है। चर्च के निर्माण के संबंध में कोई अनुमति नहीं ली गई और निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। निर्माण का विरोध करने वाले लोगों का आरोप है कि इस कथित चर्च के निर्माण से आवासीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों को भविष्य में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। बच्चों की शिक्षा, नैतिक विकास में बाधा उत्पन्न होने की भी पूर्ण संभावना जताई जा रही है। चर्च के निर्माण से धर्म परिवर्तन जैसी कुरीतियों को प्रोत्साहन मिलेगा और लोगों के पैतृक धर्म पर गलत प्रभाव होगा। वार्ड में सभी धर्म को मानने वाले लोग रहते है। ईसाई धर्म को मानने वाला कोई भी व्यक्ति निवास नहीं करता। प्रशासनिक अधिकारियों को जो ज्ञापन सौंपा गया है उसमें करीब 80 लोगों के हस्ताक्षर है।

दरअसल, ज्ञापन में बताया गया है कि गोसाई मोहल्ला में ईसाई धर्म को मानने वाला कोई परिवार नहीं रहता किंतु रविवार को गोसाई मोहल्ला के ही सोनू ठाकरे के घर पर प्रार्थना सभा चल रही थी। जहां पर धर्म परिवर्तन किया जा रहा है ऐसा आरोप लगाते हुए धार्मिक संगठनों के पदाधिकारियों ने स्थानीय लोगों के साथ हंगामा किया था। पुलिस ने अपनी जांच में पाया कि वहां केवल प्रार्थना सभा चल रही थी किसी को किसी भी प्रकार का कोई भी प्रलोभन देकर धर्मांतरण नहीं करवाया जा रहा था जो लोग प्रार्थना सभा में शामिल हुए थे वह स्वेच्छा से वहां आए थे। हालांकि इसके बावजूद जब प्रार्थना सभा स्थल पर विवाद हुआ तो दोनों ही पक्षों के लोगों ने एक-दूसरे के धर्म के प्रति अभद्र टिप्पणी की तो पुलिस ने एकतरफा कार्रवाई करते हुए प्रार्थना सभा में शामिल 08 लोगों के खिलाफ धार्मिक भावना आहत करने का मामला पंजीबद्ध कर लिया। धार्मिक संगठन के लोग अपने ज्ञापन में यह दावा कर रहे है कि उस वार्ड में ईसाई धर्म को मानने वाला कोई नहीं रहता जबकि इसी वार्ड के कुछ परिवार ईसाई धर्म को मानते हुए उसका पालन कर रहे है। इसी वजह से तो रविवार को वार्ड में प्रार्थना स्थल पर विवाद की स्थिति बनी थी। इस पूरे विवाद को सुलझाने की जिम्मेदारी पुलिस और प्रशासन की है किंतु अफसर जिम्मेदारी से कार्य नहीं कर रहे है। जिस कारण शहर के एक वार्ड और फिर पूरे शहर में तनाव की स्थिति निर्मित हो रही है। पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों को साफगोई से यह बात सार्वजनिक करनी चाहिए कि गोसाई मोहल्ले में किसी प्रकार का धर्मांतरण नहीं हो रहा था। हर व्यक्ति को किसी भी धर्म को मानने उसके प्रचार-प्रसार की पूरी स्वतंत्रता है।

ब्रह्म समाज महिला मंडल नई कार्यकारिणी का हुआ गठन

नगर के सत्संग भवन ब्रह्म समाज महिला मंडल की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। जिसमें समाज की महिला सदस्यों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। बैठक के दौरान समाज की नई कार्यकारिणी को लेकर चर्चा करते हुए नए पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई। समाज की महिलाओं ने सर्वसम्मति से श्रीमती आरती किरण अशोक दुबे को ब्रह्म समाज महिला मंडल की अध्यक्ष मनोनीत किया।

कटंगी।

बैठक में किरण सोनकावडे, वैदेही दुबे, रश्मि शर्मा, पूजा शर्मा, योगिता शर्मा, रेखा शर्मा, रितु शर्मा, संगीता मिश्रा, किरण शर्मा, शोभा शर्मा, किरण पालीवाल, अलका तिवारी, निशा त्रिवेदी, भारती त्रिवेदी, रीता तिवारी, प्रिया तिवारी, शशि शर्मा, संगीता शर्मा, बबिता तिवारी, ज्योति दीक्षित, नेहा तिवारी, अनुपमा दीक्षित, नेहा त्रिवेदी, किरण दुबे, पवन रेखा दिवाकर, सुमन काजू शर्मा, सुमन राजकुमार शर्मा सहित अन्य महिला सदस्य उपस्थित रहीं।

अध्यक्ष आरती दुबे ने अध्यक्ष की कमान मिलने के बाद महिला मंडल की नई कार्यकारिणी का गठन करते हुए श्रीमती पूजा शर्मा को उपाध्यक्ष, श्रीमती प्रिया तिवारी को सचिव, श्रीमती रश्मि रितेश शर्मा को सह सचिव, श्रीमती योगिता शर्मा को कोषाध्यक्ष, श्रीमती ज्योति दीक्षित, श्रीमती वैदेही दुबे को महामंत्री, श्रीमती अलका तिवारी को मीडिया प्रभारी और श्रीमती नेहा तिवारी, श्रीमती भारती त्रिवेदी को सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रमुख का दायित्व सौंपा है। अध्यक्ष ने कहा कि महिला मंडल के गठन से समाज में नई ऊर्जा, संगठन और उत्साह का संचार हुआ है। हमारे सनातन धर्म में सदैव नारी शक्ति को विशेष स्थान और सम्मान प्राप्त रहा है। समाज की उन्नति, संस्कारों की रक्षा और सामाजिक गतिविधियों के संचालन में मातृशक्ति का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। यह विश्वास है कि नारी शक्ति के नेतृत्व और सहयोग से ब्रह्म समाज, कटंगी सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों में नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा।